M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये

औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी के

बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा (रोपण सामग्री)

के प्रदाय हेतु

ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट

(आरसीओ)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से औषधि /पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधेएवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ग्राफटेड/बीजू पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

ऑफर पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक
पूर्ण ऑफर पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आफर खोलने की तिथि	लिफाफा क.1 दि. 23.5.2011 अपरान्ह 2.30 बजे

जो आफर लिफाफा कमांक 1 में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगें उनका लिफाफा क. 2 खोलने की जानकारी निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष कमांक (0755)- 2551652, 2551756, 2551807 फैक्स नम्बर 0755-2557305

<u>वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से औषधि / पुष्प/ सुगंधित/ वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधेएवं प्रमाणित बरसीम,ढेचा ग्राफटेड/बीजू पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)</u>

आफर पत्र क. मुख्या/उद्यान/2010–11/ दिनांक ....

आफर पत्र का मूल्य रू. 500.00 प्रति आफर
रू. 550.00 (डाक द्वारा मंगवाने पर)

मेसर्स ....
से आर.सी.ओ. के मूल्य हेतु रूपये .... शब्दों में ....
मनीरसीद कमांक .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

प्रपत्र–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ) बाबत् सहमति एवं घोषणा पत्र ।

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम के रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में उल्लेखित शर्तो एवं मापदण्डों के अनुसार औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय–सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम आरसीओ की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये 40,000/– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये 40,000/– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा आरसीओ की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : **राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराज्ड करा कर प्रस्तुत करे ।**

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

1. **आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

(अ) 1. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के बीज (Planting Material) के उत्पादक/विक्रेता अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये वितरक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।

2. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के प्रदाय हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित बीज विक्रय के लाइसेंस की आवश्यकता नही है । पौधो के उत्पादन हेतु आफरकर्ता को नर्सरी का विवरण दिया जाना आवश्यक है, जिसमें नर्सरी की खसरा, नक्शा की स्व–प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी ।

(ब) बीज वितरक होने की दशा में निगम के आरसीओ में भाग लेने हेतु प्रिंसिपल कम्पनी द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र होना आवश्यक है । (अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा)

(स) आयातीत बीज होने की दशा में आयात से संबंधित फाईटोसेनेटरी सर्टिफिकेट एवं आफर की गई सामग्री के संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली (ICAR) द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अनुशंसित सामग्रियों को ही स्वीकार किया जाएगा ।

(द) आफरकर्ता का पंजीयन आयकर विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग में होना आवश्यक है, जिससे संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।

(फ) कंद, बल्व एवं पौधों की दरें उसी स्थिति में मान्य की जावेगी जब आफरकर्ता द्वारा निम्न जानकारी आरसीओ के साथ संलग्न की जावेगी '–

1. आफरकर्ता द्वारा जिन नर्सरी से सामग्री क्रय की जावेगी उसका विस्तृत विवरण मय पंजीयन (यदि शासन द्वारा किया जाता हो तो) खरसा, नक्सा एवं क्रय हेतु किये अनुबंध की प्रति ।

2. कंद, बल्व एवं पौधे हेतु निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का स्पष्ट माहवार उल्लेख किया गया हो ।

(ज) उद्यानिकी विभाग को प्रदाय किये जाने वाले बीज के संबंध में आफरकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है कि उनके द्वारा बीज किस उत्पादक/प्रदायक से क्रय किया जा रहा है तथा उक्त क्रय के संबंध में देयक अथवा संबंधित प्रदायक/उत्पादक द्वारा दिया गया अधिकार पत्र संलग्न किया जाना होगा ।

(झ) प्रमाणित ढेचा, बरसीम अथवा अन्य सामग्री हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाण–पत्र की स्व– प्रमाणित पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दरों को विचारक्षेत्र में रखा जायेगा एवं निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रमाणीकरण हेतु उपयोग में लिये गये आधार बीज से संबंधित जानकारी प्रस्तुत

की जाना होगी । साथ ही प्रमाणित बीजों के भंडारण स्थल की जानकारी भी दी जाना आवश्यक है ।

2. **ऑफर पत्र का क्रय**

2.1(अ) निर्धारित आरसीओ दस्तावेज का मूल्य रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) उक्त कार्यालय के उप महाप्रबन्धक (उद्यान) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उ़द्योग विकास निगम से बिन्दु क्रमांक 2.1 अ में उल्लेखानुसार आरसीओ दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जा सकते है ।

(स) आरसीओ में भाग लेंने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आरसीओ क्रय किया जाना अनिवार्य है ।

2.2 आरसीओ ओपन एंडेड डाक्यूमेंट है, एक बार दरों के अनुमोदन के पश्चात कोई भी आफरकर्ता अनुमोदित दरों पर प्रदाय हेतु पृष्ठ क्र. 2 पर उल्लेखित समय सीमा के पश्चात भी विशेष पंजीयन शुल्क के साथ दिनांक 31.12.2011 तक पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, इसके लिये आफरकर्ता को निम्न कार्यवाहियां करना होगी :—

i. निगम के प्रबंध संचालक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें आफरकर्ता को उपरोक्त क्र 1 में उल्लेखित आहर्ता संबंधी वैध स्व—प्रमाणित प्रति दस्तावेज एवं शर्त क्रमांक—4 (ड) के अनुसार अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

ii. आवेदन के साथ आरसीओ डाक्यूमेंट का मूल्य रू 500.00 (डाक से मंगाने की दशा में रू 550.00) भी देय होगा ।

iii. आरसीओ डाक्येंट मूल्य के अतिरिक्त रू 10,000.00 (रू दस हजार मात्र) विशेष पंजीयन शुल्क (संकल्प धन राशि के अतिरिक्त) निगम के पक्ष में भोपाल देय राष्ट्रीकृत बैक के बैंक ड्राफ्ट से देय होगें यह राशि किसी भी रूप में वापसी योग्य नही होगी ।

iv. निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण करा कर प्राप्त आफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगें। अस्वीकृति की दशा में उसके कारणों को संबंधित आफरकर्ता को बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

v. विशेष पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत अनुमोदित आफरकर्ता शर्त क्रमांक 10 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करेगे । आफर सामान्य प्रक्रिया में लाते हुये इस आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को मान्य करना होगा तथा संलग्न प्रारूप में अनुबंध भी करना होगा ।

3. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त**

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी एवं प्रमाणित बरसीम, ढेचा, रोपण सामग्री हेतु प्रजातिवार निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रदाय हेतु स्वीकृति देनी होगी । दर परिशिष्ट क्रमांक 4 अनुसार संलग्न है ।

(ब) स्वीकृत दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु मान्य होगी

(स) जो दर निगम द्वारा मान्य की गयी है वह आरसीओ की शर्त क्रमांक 19 के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

(द) आरसीओ के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2012 एवं आगे के लिए निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक लागू रहेगी ।

(ड) परिशिष्ठ क्रमांक 4 में उल्लेखित सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों के लिये केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, दरें नहीं, अलग से समान प्रारूप में प्रस्ताव दिया जाए । प्रस्तावित सामग्रियों के संबंध में निगम स्तर से निर्णय लिया जाऐगा कि

ऐसी सामग्रियों को अनुमोदित करना है अथवा नही । समिति के निर्णायानुसार सभी वैध पंजीकृत प्रदायकों से ऐसी सामग्रियों की सीलबंद दरें निश्चित समयावधि में आमंत्रित की जावगी एवं उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी । तत्पश्चात समिति के निर्णायानुसार दरों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

4. **आफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामो से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) आरसीओ का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ठ क्रमांक 4 के अनुसार होना आवश्यक है एवं शर्त क्रमांक 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार अनुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में परिशिष्ठ क्रमांक 1 के आधार पर आफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जावेगा ।

(द) आरसीओ सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । आरसीओ से साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि रू 40,000.00 बैंक ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा धरोहर राशि यदि निर्विवादित निगम में जमा है, को पूर्व जमा राशि के अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी, ऐसे आफरकर्ता पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे) । धरोहर राशि के आभाव में कोई भी आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

(ड) ऑफर दो अलग अलग लिफाफो यथा – ''लिफाफा क्रमांक 1 तकनीकी विवरण'' तथा ''लिफाफा क्रमांक 2 दरों की स्वीकृति के विवरण'' के रूप में प्रस्तुत किया जाना है ।

लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण –

1. प्रपत्र क्रमांक–1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र ।
2. वैध सीड्स सेलिंग लायसेंस की स्वः प्रमाणित प्रति ।
3. ऑफरकर्ता का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में होना अनिवार्य है तथा (TIN) टिन का विवरण ।
4. ऑफरकर्ता फर्म की और से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
5. आयातित बीज होने की दशा में शर्त क्रमांक 1 (स) के उल्लेख अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति ।
6. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
7. संकल्प धन राशि रूपये 40,000/– शर्त क्रमांक 4 (द) के अनुसार ।
8. प्रमाणित ढेचा एवं बरसीम इत्यादि के अंतिम बीज प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित पत्र की प्रति ।

9 कन्द,बल्ब के क्रय से संबंधित देयक । यदि प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं की नर्सरी में उत्पादन किया गया हो तो संबंधित जिले के उद्यानिकी विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट ।

10 प्रदायकर्ता द्वारा जिस संस्था अथवा बीज प्रदायक से बीजों का क्रय किया जायेगा उसका विवरण एवं संबंधित क्रय दस्तावेज ।

लिफाफा क्र. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''लिफाफा क्रमांक 1, धरोहर राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं प्रमाणित बरसीम, ढेचा (रोपण सामग्री) के प्रदाय हेतु आफर'' साफ साफ लिखा जावे ।

लिफाफा क्रमांक 2 में परिशिष्ट क्र. 4 के अनुसार वित्तीय आफर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए स्वीकृति प्रस्तुत की जावे । लिफाफा क्रमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में '' लिफाफा क्रमांक 2 औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) के प्रदाय हेतु दरों की स्वीकृति''_लिखा जावे ।
उक्त दोनो लिफाफे आपस में बांधकर निगम के उद्यानिकी कक्ष में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. **आफर का खोला जाना :**
प्राप्त आफर को निगम द्वारा निर्धारित समिति द्वारा खोला जावेगा ।
लिफाफा क्रमांक 1 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के लिफाफा क्रमांक 2 समिति के निर्णय अनुसार आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क्र. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6. **सैंपल प्रस्तुत करने की प्रकिया :**

(अ) ऑफर प्रस्तुत करने वाले ऑफरकर्ताओं द्वारा जिन औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के ऑफर दिये गये हैं, के न्यूनतम 3 सेम्पल प्रत्येक प्रजाति के हिसाब से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

(ब) बिना सेम्पल के प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । प्राप्त सेम्पल का परीक्षण निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा तथा जो सेम्पल परीक्षण में प्रथमदृष्टया गुणवत्ता के प्रतीत होगे उन्ही की दरों को विचार क्षेत्र मे लिया जावेगा । समिति का निर्णय अंतिम होगा । सेम्पल के परीक्षण एवं लिफाफा क्रमांक 2 खोलने की जानकारी आफरकर्ता को अलग से दी जावेगी तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर आफरकर्ता का उपस्थित रहना आवश्यक होगा ।

(स) प्रस्तुत किए जाने वाले सेम्पल पर रोपण सामग्री का नाम, प्रजाति अंकित होना आवश्यक है ।

(द) जमा किये गये सेम्पल ऑफरकर्ताओं को वापिस नहीं किये जावेंगे ।

(उ) निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी समिति प्रस्तुत सेम्पलों को मान्य अथवा अमान्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक समिति के निर्णय को मान्य करने के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नही है । यदि आफरकर्ता के सेम्पल अमान्य हो जाने की दशा में समिति के निर्णय से सहमत नही है तो लिफाफा 'बी' खोले जाने के पूर्व वे निगम के प्रबन्ध संचालक को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पर निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

(ऊ) आफरकर्ता जिनके सेम्पल समिति ने उचित नही पाये जाते है, के संबंध में दी गई दर मान्य नही की जायेगी चाहे वह न्यूनतम क्यो न हो । इस संबंध में निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा ।

(ड) यदि आफरकर्ता द्वारा अपने सेम्पल डाक के माध्यम से भिजवाये जाते है तो डाक से विलंब से प्राप्त होने की दशा में विलंब के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा एवं विलंब से प्राप्त सेम्पल को अमान्य किये जावेगे ।

7. **सशर्त आफर –**
निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. **संकल्प धन राशि–**
आफरकर्ता को आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में रू. 40,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा। (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में ओषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज,कंद,बल्व,पौध प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा संकल्प धन राशि जो अनुबंध पश्चात धरोहर राशि के रूप में परिविर्तित की जा चुकी है एवं वर्तमान में उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है, को प्रथक से संकल्प धन राशि जमा करना आवश्यक नहीं है ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण आरसीओ में प्रस्तुत करेंगे)।

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

9. **ऑफर की वैधता :**
प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. **अनुबंध का निष्पादन–**
(अ) निगम द्वारा लिफाफा क्रमांक 2 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 5) अनुसार राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
(ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।
(स) अनुबंध 31 मार्च 2012 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद मे हो तक वैध रहेगा ।

11. **धरोहर राशि :**
(अ) ऑफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि रूपये 40,000/– ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।
(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होनें की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।

12. **औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री हेतु निर्धारित मापदण्ड –**

(क) औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट क्र. 03 में दर्शित है । निर्धारित मापदण्ड अनुसार रोपण सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ख) औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री मांग अनुसार पैकिंग में प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ग) प्रदाय किये जाने वाले पौधो की जडे विधिवत मिट्टी से ढकी होना चाहिए एवं मिट्टी गीली होना चाहिए ।

(घ) प्रदाय किये जाने वाले रोपण सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को जीवित / उचित अवस्था में प्राप्त होना आवश्यक है । निर्धारित मापदण्ड एवं जीवित / उचित अवस्था में प्रदायगी स्थल तक पहुचाने की समस्त जवाबदारी आफरकर्ता की होगी ।

(छ) वास्तविक रूप से सही स्थिति में प्राप्त रोपण सामग्री की ही पावती संबंधित विभाग द्वारा प्रदायक को दी जावेगी एवं तदानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

(ज) ऑफरकर्ता का उत्तरदायित्व रहेगा कि आफरकर्ता द्वारा प्रदायित रोपण सामग्री उसी प्रजाति हो जिस प्रजाति का उनके द्वारा आफर दिया गया था एवं उसी प्रजाति के उत्पाद प्राप्त होंगे ।

13. **पैकिंग**

(अ) बीजों की पैकिंग सीड एक्ट / सीड कन्ट्रोल आर्डर एवं सीड सर्टिफिकेशन के अनुसार होना आवश्यक है । सीड पैकैट पर उक्त से सबंधित समस्त जानकारी अंकित होना चाहिए । पौधों / स्लिप की पैकिंग 12 (ग) अनुसार होना चाहिये ।

(ब) रोपण सामग्री की पैकिंग उपयोगकर्ता विभाग के चाहे अनुसार होना आवश्यक है रोपण सामग्री की पैकिंग का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. (अ) निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों / शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश के जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे । किसी अन्य शासकीय / अर्द्व शासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो ऐसे प्रदाय के पूर्व निगम को जानकारी देना आवश्यक होगा जिससे निगम अपने रिकार्ड में आवश्यक पृविष्ठि कर सके तथा प्रदायक केवल उसी मात्रा में प्रदेश के कृषकों को प्रदाय करे, जिसको प्रदाय करने के लिये वे अधिकृत है । यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया है तथा यह प्रदाय प्रदायक के लिये मान्य अधिकृत मात्रा से अधिक है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जाम धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

(ब) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान / गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

15. **औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा** :

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 20 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर रोपण सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ब) आदेशित रोपण सामग्री पौधे होने की दशा में संख्या के आधार पर प्रदायक द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे प्रदाय करना आवश्यक होगा। यदि परिवहन के दौरान कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं केवल निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे की ही पावती दी जावेगी।

(स) आदेशित मात्रानुसार रोपण सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशित निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(द) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

(इ) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की सुरक्षा निधि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

16. **आदेश की प्रकिया :–**

(अ) निगम द्वारा उद्यान विभाग/अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल मे प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो लिखित सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से रोपण सामग्री निर्धारित दर पर प्रदाय करने होगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रदायक उत्तरदायी रहेगें ।

(द) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

(ई) निगम द्वारा आमंत्रित किये गये आफर के साथ आफरकर्ता द्वारा सूचित की गई मात्रा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दरें अनुमोदित की जायेगी एवं उद्यानिकी विभाग से प्राप्त होने वाली मांग के विरूद्ध जारी की जाने वाली आपूर्ति आदेशों के संबंध में रोस्टर प्रकिया के अनुरूप आदेश जारी किये जावेगें । रोस्टर प्रकिया हेतु सभी अनुमोदित प्रदायक को एक निश्चित तिथि पर आमंत्रित किया जाकर रोस्टर प्रकिया की पर्चियॉ निकाली जावेगी एवं पर्चियो के आधार पर रोस्टर तैयार किया जावेगा जिसमें आफरकर्ता द्वारा सूचित मात्रा को दृष्टिगत रखा जायेगा एवं मांग या सूचित मात्रा का 25 प्रतिशत जो भी अधिकतम होगा, के आदेश रोस्टर के कमानुसार जारी किये जायेगें एवं यदि मांग उक्त से अधिक होगी तो रोस्टर के आगामी कम वाले आफरकर्ता के पक्ष में समान प्रकियानुसार आपूर्ति आदेश जारी किये जायेगें । समयावधि में प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो रोस्टर के अगले कम वाले प्रदायक के पक्ष में आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगे । यदि मांगकर्ता विभाग द्वारा किसी प्रदायक विशेष के पक्ष में आदेश जारी किया जाता है तो उस पर रोस्टर लागू नहीं होगा परन्तु ऐसे आदेश

को रोस्टर के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा । आफरकर्ता द्वारा सूचित की गई मात्रा/संख्या से अधिक का आदेश नहीं दिया जायेगा ।

17. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :**

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की रोपण सामग्री निर्धारित पैकिग में निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है –

(अ) रोपण सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।

(ब) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(स) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

(द) बिना आदेश की सामग्री प्रदाय करने पर ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा । किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

18 **भुगतान :–**

निगम द्वारा ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार रोपण सामग्री निर्धारित स्थान पर प्रदायगी उपरांत विधिवत पावती एवं देयक प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान देयक के विरूद्ध प्रदायित फलपौध के संबंध में संबंधित विभाग से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः 90 दिवस में किया जावेगा ।

19.

आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को प्रमाणित सब्जी बीज का प्रदाय इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर किसी भी स्थिति में प्रदाय नहीं कर सकेगा । यदि यह स्थिति निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा । जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

20 आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने का अर्थ यह होगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट भलीभांति पढ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत होकर उनके द्वारा आफर प्रस्तुत किया गया है ।

21. आफरकर्ता द्वारा आफर के साथ विगत 3 वर्षो में निगम के माध्यम से किये गये व्यवसाय अथवा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से किये गये व्यवसाय का पूर्ण विवरण मय बैलेस शीट सहित भी संलग्न किया जाए ।

22. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगें । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

23. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज

प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

24. प्रंदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रंदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी।

25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (उद्यानिकी) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेागा ।

26. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ठ क्रमांक 01

आफरकर्ताओं को निर्देश–

आफरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर निम्नांकित परिस्थितियो में निरस्त किया जा सकता है –

1. आरसीओ नियमानुसार निगम से क्रय न किये जाने की दशा में ।
2. अर्हता संबंधी शर्त क्र. 1 तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाकूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
3. आफर की शर्त क्र. 8 के अनुसार धरोहर राशि रू. 40,000/– जमा न किये जाने की दशा में ।
4. सशर्त आफर होने की दशा में ।
5. परिशिष्ट क्र. 4 के अनुसार दर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
6. शर्त क्रमांक 4 (अ) के अनुसार एक ही आफरकर्ता द्वारा एक या अन्य नामों से एक से अधिक आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा मे ।
7. एक ही रोपण सामग्री हेतु एक से अधिक दरें आफर किए जाने की दशा में ।
8. शर्त क्र. 06 के अनुसार सेंपल प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक–2

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत वांछित औषधीय/पुष्प/सुगंधित/ वानिकी रोपण सामग्री

क्र0	औषधीय/पुष्प/सुगंधित/ वानिकी रोपण सामग्री	विवरण
1.	पुष्प (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	ग्लार्डिया, ग्लेडूलस, कारनेशन, जरबेरा, क्राइसेनथेमम, रजनीगंधा, गुलाब देसी (ग्राफटेड), एस्टर, गेंदा (ओ. पी.), लीलि, चंपा, एक्जोरा, बोगनबेलिया इत्यादि ।
2.	औषधीय (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	अश्वगंधा, अजवाईन, अकरकरा, अर्जुन, अशोक, आंवला (बीज), बच, बैल, बहेड़ा, ग्वारपाठा, हर्रा, इसबगोल, मेंथा, केवकंद, कलिहारी, कचनार, केंवाच, मूसली, महुआ, रतनजोत, सतावर, सनाय, सौंफ, तुलसी, कालमेघ, चन्द्रसूर, वज्रदंती, सर्पगंधा, स्टीविया, वनिला इत्यादी ।
3.	सुगंधित (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	सिट्रेनोला, लेमनग्रास, खस, पामारोजा, जामारोजा, मुश्कदाना, शिकाकाई इत्यादि ।
4.	वानिकी (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	बबूल (देसी/आस्ट्रेलियन/इजराईली), सुबबूल अगस्ती, अगैव, बांस, गुलमोहर, सिरस, कंदम्ब, लुर्सन, इमली, यूकेलिप्टस, नीम, रामझाड़ू, प्रोसेफिस, सागौन, करंज, खमार, सुडान, ग्रास, दीनानाथ घांस, एम.पी. चरी, मक्का (अफ्रीकन टाल) सनहेम्प, ढेचा, सागौन, (रूटसूट/पौधे), केलाकंद, शीशम, पीपल,अरंडी जंगली,खैर सफेद/देशी, बरसीम इत्यादि ।

उक्तानुसार उल्लेखित रोपण सामग्रियों के अतिरिक्त आफरकर्ता मध्यप्रदेश हेतु उपयुक्त अन्य औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री प्रजातियों के आफंर दे सकते है । ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये निगम के प्रबंध संचालक स्वतंत्र रहेंगे ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक–3

आरसीओ के तहत वांछित औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री के वांछित मापदण्ड

1.बीज

क्र.	नाम	मापदंड	न्यूनतम अंकुरण
1	ग्लार्डिया	बीज साफ एवं सूखा हो ।	80 %
2	ग्लेडुलस	बल्ब से 10 12, से.मी. डार्मेन्सी ब्रेक हो । काला न हो ।	90 %
3	मेरीगोल्ड ओ.पी.शंकर	बीज साफ हो ।	80 %
4	गुलदावदी(क्रायसेमथेमम)	बीज साफ हो ।	80 %
5	इसबगोल	बीज गुजरात– 1 या गुजरात – 2 वेरायटी का हो	80 %
6	अश्वगंधा	बीज जवाहर किस्म अनुशंसि है ।	80 %
8	सनाय	बीज साफ सूखा हो ।	90 %
9	अकरकरा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
10	सतावर	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
11	वज्रदंती	बीज साफ एव सूखा हो ।	60 %
12	बहेडा	बीज सूखा एवं साफ हो ।	80 %
13	रतनजोत	बीज साफ सूखा हो (जटरोपा करकस वेरायटी अनुशंसित है)	90 %
14	अजवाईन	बीज खुरासानी आई.सी.66, एच.एम.आई.वेरायटी	80 %
15	कोंच (केवांच)	बीज बिना रोये वाली जाति का हो । बीज सूखा एवं साफ हो	90 %
16	पामारोजा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
17	मुश्कदाना	बीज 1 साल से अधिक पुराना न हो ।	80 %
18	बबूल देशी	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
19	बबूल आस्ट्रेलियन	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
21	लूसर्न	बीज साफ हो ।	80 %
22	बबूल इजरायली	बीज साफ हो ।	40 %
23	काला सिरिस	बीज साफ हो ।	75 %
24	कदम्ब	बीज साफ हो ।	50 %
25	कचनार	बीज साफ हो ।	75 %
26	गुलमोहर	बीज साफ हो ।	85 %
27	इमली	बीज साफ हो ।	60 %
28	पेन्डूला अशोक	बीज साफ हो ।	40 %
29	नीम	बीज साफ हो ।	80 %
30	कारनेसन	बीज साफ हो ।	80 %
31.	एस्टर	बीज साफ हो ।	80 %
32	महुआ	बीज साफ हो ।	80 %
33	तुलसी	बीज साफ हो ।	80 %
34	अर्जुन	बीज साफ हो ।	80 %
35	शिकाकाई	बीज साफ हो ।	80 %
36	रोसाघास	बीज साफ हो ।	80 %
37	ढेचा	बीज साफ हो ।	80 %
38	सनहेम्प	बीज साफ हो ।	80 %
39	स्टायलो हमाटा	बीज साफ हो ।	40 %

2. पौध / कंद

क्र.	नाम	मापदंड
1	बच	राईजोम हरा हो । लंबाई लगभग 5 से.मी, कम से कम एक आंख होना चाहिए
2	मूसली सफेद	कंद लगभग 5–10 ग्राम की फिंगर के साथ क्राउन का कुछ हिस्सा आवश्यक है । कंद गीला हो ।
3	काली मूसली	कंद का वजन लगभग 20 ग्राम हो । जिसमें एक आंख अवश्य हो ।
4	मेंथा	सकर्स हरा हो, फंगस रहित हो काला न हो, अनुशंसित वेरायटी हिमालय या कोशी
5	कलिहारी	कंद का बजन लगभग 50 से 60 ग्राम । कंद हरा हो ।
6	केओकंद	कंद जिसमें 2 कलिया (आंख) कम से कम हो ।
7	छोटा हर्रा	पौधे की ऊचाई कम से कम 1फुट हो । आयु लगभग 1 वर्ष । पौधे में लगभग 3 पत्तिया हो । पौधा जीवित हो । बीज साफ एवं सूखा हो ।
8	कचनार	पौधा, ऊचाई लगभग 1 फुट हो । उम्र लगभग 1 वर्ष हो ।
9	गुलाब शंकर (बडेड)	पौधा की ऊचाई कम से कम लगभग 1 से 1 1/2 फुट हो, मोटाई लगभग 5 एम.एम.हो बडेड हो, पालीबेग 6" X 8" हो, पौधा जीवित हो
10	लेमनग्रास	स्लिप के साथ जड़ का कुछ हिस्सा भी होना चाहिए मूल पौधा 1 साल पुराना हो ।
11	जावा सिन्ट्रोनेला	स्लिप, 1 वर्ष पुरानी जुट्टे का हो ।
12	रामझाडु	स्लिप लगभग 3 से.मी. लंबी हो ।
13	बांस सादा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
14	बांस कटंगा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
15	जरबेरा सिंगल	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 8–10 पत्तिया हो ।
16	जरबेरा डबल	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 8–10 पत्तिया हो ।
17	ट्यूबरोज डबल/सिंगल	कंद लगभग 1'' व्यास व 2'' लंबा हो । फंगस न हो । कंद गीला हो
18	गुलाब लोकल हैदराबादी	पौध लगभग 1 से 1 1/2 फुट ऊंचा हो । पौधा जीवित हो । ब्रांचेस लगभग 2 से 3 हो ।
19	लिली	बल्ब 10 से 12 से.मी. हो । डार्मेन्सी ब्रेक हो ।
20	खस	स्लिप जड सहित हो ।
21	अगैव	सकर्स फंगस रहित हो तथा बदरंग न हो ।
22	जास्मिन (मोगरा)	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उॅचाई का हो ।
23	यूकेलिप्टस	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उॅचाई का हो ।
24	ग्वारपाठा	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 4–5 पत्तिया हो ।
39	केलाकंद	न्यूनतम 500 ग्रा. बजन का ताजा कंद होना चाहिये ।

नोटः उपरोक्त दर्शित बीज/पौधे/कंद की ही दरें प्रस्तुत की जाए ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक–4

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री प्रदाय हेतु वित्तीय ऑफर
(हायब्रिड को छोडकर)

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता ....

2. दूरभाष क्रमांक .... मोबाईल नं. ....

सामग्री का नाम	विवरण (बीज / पौधा / कंद / बल्ब / राइजोम)	प्रजाति	उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्रा	निगम द्वारा स्वीकृत दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ. ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
1	2	3	4	5	
औषधि				इकाई	अंकों में
आंवला,	बीज	देशी		प्रति किलो	
मूसली, सकर्स	सकर्स			प्रति किलो	
अश्वगंधा	बीज	जवाहर		प्रति किलो	
ग्वारपाठा	सकर्स			प्रति सकस	
इसबगोल	बीज			प्रति किलो	
तुलसी बीज	बीज	ओसी.सेटी. बेसी.सेटी.		प्रति किलो प्रति किलो	
सनाय	बीज			प्रति किलो	
सौंफ	बीज			प्रति किलो	
जीरा	बीज			प्रति किलो	
जीरा काला	बीज			प्रति किलो	
चन्द्रसूर	बीज			प्रति किलो	
कालमेघ	बीज			प्रति किलो	
मेंथा	सकर्स			प्रति किलो	
अजवाईन	बीज			प्रति किलो	
सर्पगंधा	बीज			प्रति किलो	
कोलियस	स्लीप / कंद			प्रति किलो	
सतावर	बीज			प्रति किलो	
सतवार	कन्द			प्रतिकिलो	

पुष्प

1	2	3	4	5	
लिली	कंद			प्रति 1000 कंद	
ग्लडिलिया	बीज			प्रति किलो	
ग्लडूलस	कंद	ढच अमेरिकन		प्रति 1000 कंद	
रजनीगंधा	बल्व	सिंगल डबल श्रृगार / सुहासिनी		प्रति 1000 बल्व प्रति 1000 बल्व प्रति 1000 बल्व	
एस्टर	बीज			प्रति किलो	
मेरी गोल्ड	बीज ओपी			प्रति किलो	
कार्नेशन	बीज			प्रति किलो	
काईसेन्थम	बीज			प्रति किलो	
बेगनबेलिया	पोधा			प्रति पोधा पोली	

वानिकी

1	2	3	4	5	
कटहल	बीज			प्रति किलो	
यूकेलिप्टस	पौधा पोली			प्रति पौधा	
बबूल	बीज	सूबबूल देशी अस्ट्रेलियन		प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो	
दीनानाथ	बीज			प्रति किलो	
गुलमोहर	बीज			प्रति किलो	
सीताफल	बीज			प्रति किलो	
सागौन	बीज रूटशूट			प्रति किलो प्रति रूटशूट	
प्रोसोफिस	बीज			प्रति किलो	
नीम	बीज			प्रति किलो	
लूसर्न	बीज			प्रति किलो	
बांस	बीज सादा बीज कटंगा			प्रति किलो प्रति किलो	
नीबू	बीज	कागजी सादा		प्रति किलो प्रति किलो	
रंगपुर लाईम	बीज			प्रति किलो	
जम्बेरी	बीज			प्रति किलो	
अमरूद	बीज			प्रति किलो	
सूडान ग्रास	बीज			प्रति किलो	
एमपी चरी	बीज			प्रति किलो	
बरसीम	बीज			प्रति किलो	
ढेंचा	कंद			प्रति किलो	
केला कंद	कंद			प्रति नग	
बेल	पौधा			प्रति पौधा	
अमरूद	पौधा			प्रति नग	
स्टाइलो हमाटा	बीज			प्रति किलो	
रतनजोत	बीज			प्रति किलो	
सुगंधित					
लेमनग्रास	स्लीप			प्रति1000 स्लीप	
पामारोसा	स्लीप बीज			प्रति1000 स्लीप प्रति किलो	
जावा सिट्रोलोना/ सिटोलेना				प्रति1000 स्लीप	
खस	स्लीप			प्रति1000 स्लीप	
मुश्कदाना	बीज			प्रति किलो	
शिकाकाई	बीज			प्रति किलो	
प्रमाणित बीज					
ढेचा	बीज			प्रतिकिलो	
बरसीम	बीज			प्रतिकिलो	

कंद, बल्व एवं पौधों की दरें उसी स्थिति में मान्य की जावेगी जब आफरकर्ता द्वारा निम्न जानकारी संलग्न की जावेगी '–

1. आफरकर्ता द्वारा जिन नर्सरी से सामग्री क्रय की जावेगी उसका विस्तृत विवरण मय पंजीयन (यदि शासन द्वारा किया जाता हो तो) खरसा, नक्सा एवं क्रय हेतु किये अनुबंध की प्रति ।
2. कंद, बल्व एवं पौधे हेतु निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का स्पष्ट माहवार उल्लेख किया गया हो ।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट कमांक–5

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक ....को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिनकी नर्सरी .... पर स्थित है की ओर से श्री ....जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री_प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) कय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री_हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के निर्धारित मापदण्ड (आर.सी. ओ. परिशिष्ट क0 3 के अनुसार)
3. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
4. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे ।

अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.

अनुबंध का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता ....
....
फोन नम्बर ....
फैक्स नम्बर ....
मोबाईल नं. ....

सामग्री का नाम	विवरण (बीज / पौधा / कंद / बल्व / राइजोम)	प्रजाति	मात्रा (प्रति नग / किलो)	निगम को प्रदाय दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

प्रति,

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये
औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी के
बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री)
के प्रदाय हेतु
ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट
(आरसीओ)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से ग्राफटेड/बीजू पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

ऑफर पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.04.2010 अपरान्ह 1.00 बजे तक
पूर्ण ऑफर पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.04.2010 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आफर खोलने की तिथि	लिफाफा क्र.1 दि. 12.04.2010 सायं 2.30 बजे

जो आफर लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगें उनका लिफाफा क्र. 2 खोलने की जानकारी निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष कमांक (0755)- 2551652, 2551756, 2551807   फैक्स नम्बर 0755-2557305

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

आफर पत्र क. मुख्या/उद्यान/2010–11/   दिनांक ....

आफर पत्र का मूल्य   रू. 500.00 प्रति आफर
रू. 550.00 (डाक द्वारा मंगवाने पर)

मेसर्स ....

से आर.सी.ओ. के मूल्य हेतु रूपये .... शब्दों में ....

मनीरसीद कमांक .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

प्रपत्र–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ) बाबत् सहमति एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम के रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में उल्लेखित शर्तो एवं मापदण्डों के अनुसार औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय–सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम आरसीओ की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये 40,000/– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये 40,000/– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा आरसीओ की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 20.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर नोटराज्ड करा कर प्रस्तुत करे ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2010–11 एवं आगे के लिए औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज,कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

1. **आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

(अ) 1. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के बीज (Planting Material) के उत्पादक/विक्रेता अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये वितरक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।

3. विभिन्न प्रकार की औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी पौधों के प्रदाय हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित बीज विक्रय के लाइसेंस की आवश्यकता नही है । पौधो के उत्पादन हेतु आफरकर्ता को नर्सरी का विवरण दिया जाना आवश्यक है, जिसमें नर्सरी की खसरा, नक्शा की स्व–प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी ।

(ब) बीज वितरक होने की दशा में निगम के आरसीओ में भाग लेने हेतु प्रिंसिपल कम्पनी द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र होना आवश्यक है । (अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा)

(स) आयातीत बीज होने की दशा में आयात से संबंधित फाईटोसेनेटरी सर्टिफिकेट एवं आफर की गई सामग्री के संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली (ICAR) द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अनुशंसित सामग्रियों को ही स्वीकार किया जाएगा ।

(द) आफरकर्ता का पंजीयन आयकर विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग में होना आवश्यक है, जिससे संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।

(फ) कंद, बल्व एवं पौधों की दरें उसी स्थिति में मान्य की जावेगी जब आफरकर्ता द्वारा निम्न जानकारी आरसीओ के साथ संलग्न की जावेगी '–

1. आफरकर्ता द्वारा जिन नर्सरी से सामग्री क्रय की जावेगी उसका विस्तृत विवरण मय पंजीयन (यदि शासन द्वारा किया जाता हो तो) खरसा, नक्सा एवं क्रय हेतु किये अनुबंध की प्रति ।

2. कंद, बल्व एवं पौधे हेतु निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का स्पष्ट माहवार उल्लेख किया गया हो ।

(ज) उद्यानिकी विभाग को प्रदाय किये जाने वाले बीज के संबंध में आफरकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जाना अनिवाग्र है कि उनके द्वारा बीज किस उत्पादक/प्रदायक से क्रय किया जा रहा है तथा उक्त क्रय के संबंध में देयक अथवा संबंधित प्रदायक/उत्पादक द्वारा दिया गया अधिकार पत्र संलग्न किया जाना होगा ।

2. **ऑफर पत्र का क्रय**

2.1(अ) निर्धारित आरसीओ दस्तावेज का मूल्य रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) उक्त कार्यालय के उप महाप्रबन्धक (उद्यान) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उ़द्योग विकास निगम से बिन्दु क्रमांक 2.1 अ में उल्लेखानुसार आरसीओ दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जा सकते है ।

(स) आरसीओ में भाग लेंने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आरसीओ क्रय किया जाना अनिवार्य है ।

2.2 आरसीओ ओपन एंडेड डाक्यूमेंट है, एक बार दरों के अनुमोदन के पश्चात कोई भी आफरकर्ता अनुमोदित दरों पर प्रदाय हेतु पृष्ठ क. 2 पर उल्लेखित समय सीमा के पश्चात भी विशेष पंजीयन शुल्क के साथ दिनांक 31.12.2010 तक पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, इसके लिये आफरकर्ता को निम्न कार्यवाहियां करना होगी :–

vi. निगम के प्रबंध संचालक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें आफरकर्ता को उपरोक्त क्र 1 में उल्लेखित आहर्ता संबंधी वैध स्व–प्रमाणित प्रति दस्तावेज एवं शर्त क्रमांक–4 (ड) के अनुसार अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

vii. आवेदन के साथ आरसीओ डाक्यूमेंट का मूल्य रू 500.00 (डाक से मंगाने की दशा में रू 550.00) भी देय होगा ।

viii. आरसीओ डाक्यूंट मूल्य के अतिरिक्त रू 10,000.00 (रू दस हजार मात्र) विशेष पंजीयन शुल्क (संकल्प धन राशि के अतिरिक्त) निगम के पक्ष में भोपाल देय राष्ट्रीकृत बैक के बैंक ड्राफ्‌ट से देय होगें यह राशि किसी भी रूप में वापसी योग्य नही होगी ।

ix. निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण करा कर प्राप्त आफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगें। अस्वीकृति की दशा में उसके कारणों को संबंधित आफरकर्ता को बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

x. विशेष पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत अनुमोदित आफरकर्ता शर्त क्रमांक 10 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करेगे । आफर सामान्य प्रकिया में लाते हुये इस आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को मान्य करना होगा तथा संलग्न प्रारूप में अनुबंध भी करना होगा ।

3. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त**

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री हेतु प्रजातिवार निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रदाय हेतु स्वीकृति देनी होगी । दर परिशिष्ट क्रमांक 4 अनुसार संलग्न है ।

(ब) स्वीकृत दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु मान्य होगी

(स) जो दर निगम द्वारा मान्य की गयी है वह आरसीओ की शर्त क्रमांक 19 के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

(द) आरसीओ के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2011 एवं आगे के लिए निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक लागू रहेगी ।

(ड) परिशिष्ठ क्रमांक 4 में उल्लेखित सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों के लिये केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, दरें नहीं, अलग से समान प्रारूप में प्रस्ताव दिया जाए । प्रस्तावित सामग्रियों के संबंध में निगम स्तर से निर्णय लिया जाऐगा कि ऐसी सामग्रियों को अनुमोदित करना है अथवा नही । समिति के निर्णायानुसार सभी वैध पंजीकृत प्रदायकों से ऐसी सामग्रियों की सीलबंद दरें निश्चित समयावधि में आमंत्रित की जावगी एवं उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी । तत्पश्चात समिति के निर्णायानुसार दरों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

4. **आफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामो से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) आरसीओ का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ठ कमांक 4 के अनुसार होना आवश्यक है एवं शर्त कमांक 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार अनुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में परिशिष्ठ कमांक 1 के आधार पर आफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जावेगा ।

(द) आरसीओ सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । आरसीओ से साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि रू 40,000.00 बैंक ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा धरोहर राशि यदि निर्विवादित निगम में जमा है, को पूर्व जमा राशि के अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी, ऐसे आफरकर्ता पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद कमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे) । धरोहर राशि के आभाव में कोई भी आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

(ड) ऑफर दो अलग अलग लिफाफो यथा – ''लिफाफा कमांक 1 तकनीकी विवरण'' तथा ''लिफाफा कमांक 2 दरों की स्वीकृति के विवरण'' के रूप में प्रस्तुत किया जाना है ।

लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण –

1. प्रपत्र कमांक–1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 20.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र ।
2. वैध सीड्स सेलिंग लायसेंस की स्वः प्रमाणित प्रति ।
3. ऑफरकर्ता का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में होना अनिवार्य है तथा (TIN) टिन का विवरण ।
4. ऑफरकर्ता फर्म की और से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
5. आयातित बीज होने की दशा में शर्त कमांक 1 (स) के उल्लेख अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति ।
6. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
7. संकल्प धन राशि रूपये 40,000/– शर्त कमांक 4 (द) के अनुसार ।

लिफाफा क. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में *''लिफाफा कमांक 1, धरोहर राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) के प्रदाय हेतु आफर''* साफ साफ लिखा जावे ।

लिफाफा कमांक 2 में परिशिष्ट क. 4 के अनुसार वित्तीय आफर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए स्वीकृति प्रस्तुत की जावे । लिफाफा कमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में '' लिफाफा कमांक 2 औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री) के प्रदाय हेतु दरों की स्वीकृति''_लिखा जावे ।

उक्त दोनो लिफाफे आपस में बांधकर निगम के उद्यानिकी कक्ष में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. **आफर का खोला जाना :**

प्राप्त आफर को निगम द्वारा निर्धारित समिति द्वारा खोला जावेगा ।

लिफाफा कमांक 1 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के लिफाफा कमांक 2 समिति के निर्णय अनुसार आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6. **सैंपल प्रस्तुत करने की प्रकिया :**

(अ) ऑफर प्रस्तुत करने वाले ऑफरकर्ताओं द्वारा जिन औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के ऑफर दिये गये हैं, के न्यूनतम 3 सेम्पल प्रत्येक प्रजाति के हिसाब से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

(ब) बिना सेम्पल के प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । प्राप्त सेम्पल का परीक्षण निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा तथा जो सेम्पल परीक्षण में प्रथमदृष्टया गुणवत्ता के प्रतीत होगे उन्ही की दरों को विचार क्षेत्र मे लिया जावेगा । समिति का निर्णय अंतिम होगा । सेम्पल के परीक्षण एवं लिफाफा कमांक 2 खोलने की जानकारी आफरकर्ता को अलग से दी जावेगी तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर आफरकर्ता का उपस्थित रहना आवश्यक होगा ।

(स) प्रस्तुत किए जाने वाले सेम्पल पर रोपण सामग्री का नाम, प्रजाति अंकित होना आवश्यक है ।

(द) जमा किये गये सेम्पल ऑफरकर्ताओं को वापिस नहीं किये जावेंगे ।

(उ) निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी समिति प्रस्तुत सेम्पलों को मान्य अथवा अमान्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक समिति के निर्णय को मान्य करने के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नही है । यदि आफरकर्ता के सेम्पल अमान्य हो जाने की दशा में समिति के निर्णय से सहमत नही है तो लिफाफा 'बी' खोले जाने के पूर्व वे निगम के प्रबन्ध संचालक को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पर निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

(ऊ) आफरकर्ता जिनके सेम्पल समिति ने उचित नही पाये जाते है, के संबंध में दी गई दर मान्य नही की जायेगी चाहे वह न्यूनतम क्यो न हो । इस संबंध में निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा ।

(ड) यदि आफरकर्ता द्वारा अपने सेम्पल डाक के माध्यम से भिजवाये जाते है तो डाक से विलंब से प्राप्त होने की दशा में विलंब के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा एवं विलंब से प्राप्त सेम्पल को अमान्य किये जावेगे ।

7. **सशर्त आफर –**

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. **संकल्प धन राशि–**

आफरकर्ता को आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में रू. 40,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा। (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में ओषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज,कंद,बल्व,पौध प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा संकल्प धन राशि जो अनुबंध पश्चात धरोहर राशि के रूप में परिविर्तित की जा चुकी है एवं वर्तमान में उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है, को प्रथक से संकल्प धन राशि जमा करना आवश्यक नहीं है ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा

संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण आरसीओ में प्रस्तुत करेंगे)।

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

9. **ऑफर की वैधता** :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. **अनुबंध का निष्पादन**–

(अ) निगम द्वारा लिफाफा क्रमांक 2 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 5) अनुसार राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

(ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(स) अनुबंध 31 मार्च 2011 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद मे हो तक वैध रहेगा ।

11. **धरोहर राशि** :

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि रूपये 40,000/– ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होनें की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।

12. **औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री हेतु निर्धारित मापदण्ड** –

(क) औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट क्र. 03 में दर्शित है । निर्धारित मापदण्ड अनुसार रोपण सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ख) औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री मांग अनुसार पैकिंग में प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ग) प्रदाय किये जाने वाले पौधो की जडे विधिवत मिट्टी से ढकी होना चाहिए एवं मिट्टी गीली होना चाहिए ।

(घ) प्रदाय किये जाने वाले रोपण सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को जीवित/उचित अवस्था में प्राप्त होना आवश्यक है । निर्धारित मापदण्ड एवं जीवित/उचित अवस्था में प्रदायगी स्थल तक पहुचाने की समस्त जवाबदारी आफरकर्ता की होगी ।

(छ) वास्तविक रूप से सही स्थिति में प्राप्त रोपण सामग्री की ही पावती संबंधित विभाग द्वारा प्रदायक को दी जावेगी एवं तदानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

(ज) ऑफरकर्ता का उत्तरदायित्व रहेगा कि आफरकर्ता द्वारा प्रदायित रोपण सामग्री उसी प्रजाति हो जिस प्रजाति का उनके द्वारा आफर दिया गया था एवं उसी प्रजाति के उत्पाद प्राप्त होंगे ।

13. **पैकिंग**

(अ) बीजों की पैकिंग सीड एक्ट/सीड कन्ट्रोल आर्डर एवं सीड सर्टिफिकेशन के अनुसार होना आवश्यक है । सीड पैकैट पर उक्त से सबंधित समस्त जानकारी अंकित होना चाहिए । पौधों/स्लिप की पैकिंग 12 (ग) अनुसार होना चाहिये ।

(ब) रोपण सामग्री की पैकिंग उपयोगकर्ता विभाग के चाहे अनुसार होना आवश्यक है रोपण सामग्री की पैकिंग का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. (अ) निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश के जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे । किसी अन्य शासकीय/अर्द्व शासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो ऐसे प्रदाय के पूर्व निगम को जानकारी देना आवश्यक होगा जिससे निगम अपने रिकार्ड में आवश्यक पृविष्ठि कर सके तथा प्रदायक केवल उसी मात्रा में प्रदेश के कृषकों को प्रदाय करे, जिसको प्रदाय करने के लिये वे अधिकृत है । यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया है तथा यह प्रदाय प्रदायक के लिये मान्य अधिकृत मात्रा से अधिक है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जाम धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

(ब) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

15. **औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा** :

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 20 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर रोपण सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ब) आदेशित रोपण सामग्री पौधे होने की दशा में संख्या के आधार पर प्रदायक द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे प्रदाय करना आवश्यक होगा। यदि परिवहन के दौरान कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं केवल निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे की ही पावती दी जावेगी।

(स) आदेशित मात्रानुसार रोपण सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशित निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(द) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

(इ) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की सुरक्षा निधि एवं भुगतान हेतु निगम में

प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

16. **आदेश की प्रकिया :–**

(अ) निगम द्वारा उद्यान विभाग/अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल मे प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो लिखित सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से रोपण सामग्री निर्धारित दर पर प्रदाय करने होगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रदायक उत्तरदायी रहेगें ।

(द) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

(ई) निगम द्वारा आमंत्रित किये गये आफर के साथ आफरकर्ता द्वारा सूचित की गई मात्रा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दरें अनुमोदित की जायेगी एवं उद्यानिकी विभाग से प्राप्त होने वाली मांग के विरूद्ध जारी की जाने वाली आपूर्ति आदेशों के संबंध में रोस्टर प्रकिया के अनुरूप आदेश जारी किये जावेगें । रोस्टर प्रकिया हेतु सभी अनुमोदित प्रदायक को एक निश्चित तिथि पर आमंत्रित किया जाकर रोस्टर प्रकिया की पर्चियॉ निकाली जावेगी एवं पर्चियो के आधार पर रोस्टर तैयार किया जावेगा जिसमें आफरकर्ता द्वारा सूचित मात्रा को दृष्टिगत रखा जायेगा एवं मांग या सूचित मात्रा का 25 प्रतिशत जो भी अधिकतम होगा, के आदेश रोस्टर के कमानुसार जारी किये जायेगें एवं यदि मांग उक्त से अधिक होगी तो रोस्टर के आगामी कम वाले आफरकर्ता के पक्ष में समान प्रकियानुसार आपूर्ति आदेश जारी किये जायेगें । समयावधि में प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो रोस्टर के अगले कम वाले प्रदायक के पक्ष में आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगे । यदि मांगकर्ता विभाग द्वारा किसी प्रदायक विशेष के पक्ष में आदेश जारी किया जाता है तो उस पर रोस्टर लागू नहीं होगा परन्तु ऐसे आदेश को रोस्टर के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा । आफरकर्ता द्वारा सूचित की गई मात्रा/संख्या से अधिक का आदेश नहीं दिया जायेगा ।

17. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :**

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की रोपण सामग्री निर्धारित पैकिग में निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है –

(अ) रोपण सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।

(ब) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(स) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

(द) बिना आदेश की सामग्री प्रदाय करने पर ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना

होगा । किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

18 **भुगतान :–**

निगम द्वारा ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार रोपण सामग्री निर्धारित स्थान पर प्रदायगी उपरांत विधिवत पावती एवं देयक प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान देयक के विरूद्ध प्रदायित फलपौध के संबंध में संबंधित विभाग से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः 120 दिवस में किया जावेगा ।

19. **प्राईज फॉल क्लॉज :–**

आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को प्रमाणित सब्जी बीज का प्रदाय इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर किसी भी स्थिति में प्रदाय नहीं कर सकेगा । यदि यह स्थिति निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा । जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

20 आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने का अर्थ यह होगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट भलीभांति पढ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत होकर उनके द्वारा आफर प्रस्तुत किया गया है ।

21. आफरकर्ता द्वारा आफर के साथ विगत 3 वर्षो में निगम के माध्यम से किये गये व्यवसाय अथवा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से किये गये व्यवसाय का पूर्ण विवरण मय बैलेस शीट सहित भी संलग्न किया जाए ।

22. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

23. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

24. प्रंदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रंदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी।

25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (उद्यानिकी) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेागा ।

26. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ठ क्रमांक 01

आफरकर्ताओं को निर्देश—

आफरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर निम्नांकित परिस्थितियो में निरस्त किया जा सकता है —

1. आरसीओ नियमानुसार निगम से क्रय न किये जाने की दशा में ।
2. अर्हता संबंधी शर्त क्र. 1 तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाकूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
3. आफर की शर्त क्र. 8 के अनुसार धरोहर राशि रू. 40,000/— जमा न किये जाने की दशा में ।
4. सशर्त आफर होने की दशा में ।
5. परिशिष्ट क्र. 4 के अनुसार दर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
6. शर्त क्रमांक 4 (अ) के अनुसार एक ही आफरकर्ता द्वारा एक या अन्य नामों से एक से अधिक आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा मे ।
7. एक ही रोपण सामग्री हेतु एक से अधिक दरें आफर किए जाने की दशा में ।
8. शर्त क्र. 06 के अनुसार सेंपल प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक–2

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत वांछित औषधीय/पुष्प/सुगंधित/
वानिकी रोपण सामग्री

क0	औषधीय/पुष्प/सुगंधित/ वानिकी रोपण सामग्री	विवरण
1.	पुष्प (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	ग्लार्डिया, ग्लेडूलस, कारनेशन, जरबेरा, क्राइसेनथेमम, रजनीगंधा, गुलाब देसी (ग्राफटेड), एस्टर, गेंदा (ओ. पी.), लीलि, चंपा, एक्जोरा, बोगनबेलिया इत्यादि ।
2.	औषधीय (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	अश्वगंधा, अजवाईन, अकरकरा, अर्जुन, अशोक, आंवला (बीज), बच, बैल, बहेड़ा, ग्वारपाठा, हर्रा, इसबगोल, मेंथा, केवकंद, कलिहारी, कचनार, केंवाच, मूसली, महुआ, रतनजोत, सतावर, सनाय, सौंफ, तुलसी, कालमेघ, चन्द्रसूर, वज्रदंती, सर्पगंधा, स्टीविया, वनिला इत्यादी ।
3.	सुगंधित (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	सिट्रेनोला, लेमनग्रास, खस, पामारोजा, जामारोजा, मुश्कदाना, शिकाकाई इत्यादि ।
4.	वानिकी (बीज/कंद/बल्व/पौधे)	बबूल (देसी/आस्ट्रेलियन/इजराईली), सुबबूल अगस्ती, अगैव, बांस, गुलमोहर, सिरस, कंदम्ब, लुर्सन, इमली, यूकेलिप्टस, नीम, रामझाड़ू, प्रोसेफिस, सागौन, करंज, खमार, सुडान, ग्रास, दीनानाथ घांस, एम.पी. चरी, मक्का (अफ्रीकन टाल) सनहेम्प, ढेचा, सागौन, (रूटसूट/पौधे), केलाकंद, शीशम, पीपल,अरंडी जंगली,खैर सफेद/देशी, बरसीम इत्यादि ।

उक्तानुसार उल्लेखित रोपण सामग्रियों के अतिरिक्त आफरकर्ता मध्यप्रदेश हेतु उपयुक्त अन्य औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री प्रजातियों के आफंर दे सकते है । ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये निगम के प्रबंध संचालक स्वतंत्र रहेंगे ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक–3

आरसीओ के तहत वांछित औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी रोपण सामग्री के वांछित मापदण्ड

1.बीज

क्र.	नाम	मापदंड	न्यूनतम अंकुरण
1	ग्लार्डिया	बीज साफ एवं सूखा हो ।	80 %
2	ग्लेडुलस	बल्ब से 10 12, से.मी. डार्मेन्सी ब्रेक हो । काला न हो ।	90 %
3	मेरीगोल्ड ओ.पी.शंकर	बीज साफ हो ।	80 %
4	गुलदावदी(क्रायसेमथेमम)	बीज साफ हो ।	80 %
5	इसबगोल	बीज गुजरात– 1 या गुजरात – 2 वेरायटी का हो	80 %
6	अश्वगंधा	बीज जवाहर किस्म अनुशंसि है ।	80 %
8	सनाय	बीज साफ सूखा हो ।	90 %
9	अकरकरा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
10	सतावर	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
11	वज्रदंती	बीज साफ एव सूखा हो ।	60 %
12	बहेडा	बीज सूखा एवं साफ हो ।	80 %
13	रतनजोत	बीज साफ सूखा हो (जटरोपा करकस वेरायटी अनुशंसित है)	90 %
14	अजवाईन	बीज खुरासानी आई.सी.66, एच.एम.आई.वेरायटी	80 %
15	कोंच (केवांच)	बीज बिना रोये वाली जाति का हो । बीज सूखा एवं साफ हो	90 %
16	पामारोजा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
17	मुश्कदाना	बीज 1 साल से अधिक पुराना न हो ।	80 %
18	बबूल देशी	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
19	बबूल आस्ट्रेलियन	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
21	लूसर्न	बीज साफ हो ।	80 %
22	बबूल इजरायली	बीज साफ हो ।	40 %
23	काला सिरिस	बीज साफ हो ।	75 %
24	कदम्ब	बीज साफ हो ।	50 %
25	कचनार	बीज साफ हो ।	75 %
26	गुलमोहर	बीज साफ हो ।	85 %
27	इमली	बीज साफ हो ।	60 %
28	पेन्डूला अशोक	बीज साफ हो ।	40 %
29	नीम	बीज साफ हो ।	80 %
30	कारनेसन	बीज साफ हो ।	80 %
31.	एस्टर	बीज साफ हो ।	80 %
32	महुआ	बीज साफ हो ।	80 %
33	तुलसी	बीज साफ हो ।	80 %
34	अर्जुन	बीज साफ हो ।	80 %
35	शिकाकाई	बीज साफ हो ।	80 %
36	रोसाघास	बीज साफ हो ।	80 %
37	ढेचा	बीज साफ हो ।	80 %
38	सनहेम्प	बीज साफ हो ।	80 %
39	स्टायलो हमाटा	बीज साफ हो ।	40 %

2. पौध/कंद

क.	नाम	मापदंड
1	बच	राईजोम हरा हो । लंबाई लगभग 5 से.मी, कम से कम एक आंख होना चाहिए
2	मूसली सफेद	कंद लगभग 5–10 ग्राम की फिंगर के साथ क्राउन का कुछ हिस्सा आवश्यक है । कंद गीला हो ।
3	काली मूसली	कंद का वजन लगभग 20 ग्राम हो । जिसमें एक आंख अवश्य हो ।
4	मेंथा	सकर्स हरा हो, फंगस रहित हो काला न हो, अनुशंसित वेरायटी हिमालय या कोशी
5	कलिहारी	कंद का बजन लगभग 50 से 60 ग्राम । कंद हरा हो ।
6	केओकंद	कंद जिसमें 2 कलिया (आंख) कम से कम हो ।
7	छोटा हर्रा	पौधे की ऊचाई कम से कम 1फुट हो । आयु लगभग 1 वर्ष । पौधे में लगभग 3 पत्तिया हो । पौधा जीवित हो । बीज साफ एवं सूखा हो ।
8	कचनार	पौधा, ऊचाई लगभग 1 फुट हो । उम्र लगभग 1 वर्ष हो ।
9	गुलाब शंकर (बडेड)	पौधा की ऊचाई कम से कम लगभग 1 से 1 1/2 फुट हो, मोटाई लगभग 5 एम.एम.हो बडेड हो, पालीबेग 6" X 8" हो, पौधा जीवित हो
10	लेमनग्रास	स्लिप के साथ जड़ का कुछ हिस्सा भी होना चाहिए मूल पौधा 1 साल पुराना हो ।
11	जावा सिन्ट्रोनेला	स्लिप, 1 वर्ष पुरानी जुट्टे का हो ।
12	रामझाडु	स्लिप लगभग 3 से.मी. लंबी हो ।
13	बांस सादा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
14	बांस कटंगा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
15	जरबेरा सिंगल	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 8–10 पत्तिया हो ।
16	जरबेरा डबल	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 8–10 पत्तिया हो ।
17	ट्यूबरोज डबल/सिंगल	कंद लगभग 1'' व्यास व 2'' लंबा हो । फंगस न हो । कंद गीला हो
18	गुलाब लोकल हैदराबादी	पौध लगभग 1 से 1 1/2 फुट ऊंचा हो । पौधा जीवित हो । ब्रांचेस लगभग 2 से 3 हो ।
19	लिली	बल्ब 10 से 12 से.मी. हो । डार्मेन्सी ब्रेक हो ।
20	खस	स्लिप जड सहित हो ।
21	अगैव	सकर्स फंगस रहित हो तथा बदरंग न हो ।
22	जास्मिन (मोगरा)	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उॅचाई का हो ।
23	यूकेलिप्टस	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उॅचाई का हो ।
24	ग्वारपाठा	पौधे ऊचाई 4''–6'' । पौधा जीवित हो । लगभग 4–5 पत्तिया हो ।
39	केलाकंद	न्यूनतम 500 ग्रा. बजन का ताजा कंद होना चाहिये ।

नोटः उपरोक्त दर्शित बीज/पौधे/कंद की ही दरें प्रस्तुत की जाए ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

परिशिष्ट कमांक–4

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री प्रदाय हेतु वित्तीय ऑफर
(हायब्रिड को छोडकर)

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता ....

2. दूरभाष कमांक .... मोबाईल नं. ....

सामग्री का नाम	विवरण (बीज/पौधा/कंद/बल्ब/राइजोम)	प्रजाति	उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्रा	निगम द्वारा स्वीकृत दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
1	2	3	4	5	
औषधि				इकाई	अंकों में
आंवला,	बीज	देशी		प्रति किलो	
मूसली, सकर्स	सकर्स			प्रति किलो	
अश्वगंधा	बीज	जवाहर		प्रति किलो	
ग्वारपाठा	सकर्स			प्रति सकस	
इसबगोल	बीज			प्रति किलो	
तुलसी बीज	बीज	ओसी.सेटी. बेसी.सेटी.		प्रति किलो प्रति किलो	
सनाय	बीज			प्रति किलो	
सौंफ	बीज			प्रति किलो	
जीरा	बीज			प्रति किलो	
जीरा काला	बीज			प्रति किलो	
चन्द्रसूर	बीज			प्रति किलो	
कालमेघ	बीज			प्रति किलो	
मेंथा	सकर्स			प्रति किलो	
अजवाईन	बीज			प्रति किलो	
सर्पगंधा	बीज			प्रति किलो	
कोलियस	स्लीप/कंद			प्रति किलो	
सतावर	बीज			प्रति किलो	

पुष्प

1	2	3	4	5	
लिली	कंद			प्रति 1000 कंद	
ग्लडिलिया	बीज			प्रति किलो	
ग्लडूलस	कंद	ढच अमेरिकन		प्रति 1000 कंद	
रजनीगंधा	बल्व	सिंगल डबल श्रृगार/सुहासिनी		प्रति 1000 बल्व प्रति 1000 बल्व प्रति 1000 बल्व	
एस्टर	बीज			प्रति किलो	
मेरी गोल्ड	बीज ओपी			प्रति किलो	
कार्नेशन	बीज			प्रति किलो	
काईसेन्थम	बीज			प्रति किलो	
बेगनबेलिया	पौधा			प्रति पोधा पोली	

वानिकी

1	2	3	4	5	
कटहल	बीज			प्रति किलो	
यूकेलिप्टस	पौधा पोली			प्रति पौधा	
बबूल	बीज	सूबबूल देशी अस्ट्रेलियन		प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो	
दीनानाथ	बीज			प्रति किलो	
गुलमोहर	बीज			प्रति किलो	
सीताफल	बीज			प्रति किलो	
सागौन	बीज रूटशूट			प्रति किलो प्रति रूटशूट	
प्रोसोफिस	बीज			प्रति किलो	
नीम	बीज			प्रति किलो	
लूसर्न	बीज			प्रति किलो	
बांस	बीज सादा बीज कटंगा			प्रति किलो प्रति किलो	
नीबू	बीज	कागजी सादा		प्रति किलो प्रति किलो	
रंगपुर लाईम	बीज			प्रति किलो	
जम्बेरी	बीज			प्रति किलो	
अमरूद	बीज			प्रति किलो	
सूडान ग्रास	बीज			प्रति किलो	
एमपी चरी	बीज			प्रति किलो	
बरसीम	बीज			प्रति किलो	
ढेंचा	कंद			प्रति किलो	
केला कंद	कंद			प्रति नग	
बेल	पौधा			प्रति पौधा	
अमरूद	पौधा			प्रति नग	
स्टाइलो हमाटा	बीज			प्रति किलो	
रतनजोत	बीज			प्रति किलो	
सुगंधित					
लेमनग्रास	स्लीप			प्रति1000 स्लीप	
पामारोसा	स्लीप बीज			प्रति1000 स्लीप प्रति किलो	
जावा सिट्रोलोना/ सिटोलेना				प्रति1000 स्लीप	
खस	स्लीप			प्रति1000 स्लीप	
मुश्कदाना	बीज			प्रति किलो	
शिकाकाई	बीज			प्रति किलो	

कंद, बल्व एवं पौधों की दरें उसी स्थिति में मान्य की जावेगी जब आफरकर्ता द्वारा निम्न जानकारी संलग्न की जावेगी '–

1. आफरकर्ता द्वारा जिन नर्सरी से सामग्री क्रय की जावेगी उसका विस्तृत विवरण मय पंजीयन (यदि शासन द्वारा किया जाता हो तो) खरसा, नक्सा एवं क्रय हेतु किये अनुबंध की प्रति ।
2. कंद, बल्व एवं पौधे हेतु निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा का स्पष्ट माहवार उल्लेख किया गया हो ।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट क्रमांक–5

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक ....को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिनकी नर्सरी .... पर स्थित है की ओर से श्री ....जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री_प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री_हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के निर्धारित मापदण्ड (आर.सी. ओ. परिशिष्ट क्र0 3 के अनुसार)
3. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
4. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे ।

अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.

अनुबंध का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता ....
....
फोन नम्बर ....
फैक्स नम्बर ....
मोबाईल नं. ....

सामग्री का नाम	विवरण (बीज / पौधा / कंद / बल्व / राइजोम)	प्रजाति	मात्रा (प्रति नग / किलो)	निगम को प्रदाय दर 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

M P AGRO
M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagro_bpl@airtelmail.in

क्र.मुख्या/उद्यान/2011/ दिनांक 4.5.2011

प्रति,

प्रबधंक(आरटीई)मुख्यालय, भोपाल.
प्रबधंक(इंजी.)मुख्यालय, भोपाल
उपप्रबधंक(लेखा)मुख्यालय, भोपाल
उपप्रबधंक(उद्यान)मुख्यालय, भोपाल

विषयः— प्रमाणित सब्जी बीज एवं सत्यरूप बीज के आरसीओ खोलने एवं दरों का तुलनात्मक विवरण बनाने हेतु गठित समिति ।

उद्यानिकी कक्ष द्वारा प्रमाणित सब्जी बीज एवं सत्यरूप बीज के आरसीओ आमंत्रित किये गये हैं ,जो दिनांक 6.5.2011 को अपरान्ह 2.30 बजे खोले जाने हैं । उक्त आरसीओ खोलने एवं प्राप्त आफर्स का तुल्नात्मक विवरण तैयार करने हेतु आदेशानुसार ,निम्नानुसार समिति गठित की गई हैः—

1 प्रबधंक(आरटीई)मुख्यालय, भोपाल.
2 प्रबधंक(इंजी.)मुख्यालय, भोपाल
3 उपप्रबधंक(लेखा)मुख्यालय, भोपाल
4 उपप्रबधंक(उद्यान)मुख्यालय, भोपाल

कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

उपमहाप्रबधंक (उद्यान)

प्रतिलिपिः—
1. महाप्रबंधक (आरटीई/वित्त एवं कर) मुख्यालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रबधंक (उद्यान) मुख्यालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपमहाप्रबधंक (उद्यान)